न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 722 / 2022

अनवान : –

1. लाधुराम कस्वां पुत्र हजारीराम कस्वां जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. बृजलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. राधाकृष्ण पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. हंसराज पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. सुमित्रा पुत्री हजारीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चाईया तहसील रावतसर।
2. सुशीला पुत्री हजारीराम पत्नी महावीर जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री हजारीराम पत्नी स्व0 भूराराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी सुरेरा खारी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. सुनीता पुत्री ज्यानादेवी पत्नी भादरराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल ढुमासर तहसील नोहर।
5. सरलादेवी पुत्री ज्यानादेवी पत्नी राकेश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. वीनादेवी पुत्री ज्यानादेवी पत्नी राजेश जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास थिराना तहसील नोहर।
7. सुमन पुत्री ज्यानादेवी पत्नी अजय कुमार जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास गिगोरानी तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
8. विनोद पुत्र ज्यानादेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट साकिन सुरेरा खरी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
9. खजानाराम पुत्र ज्यानादेवी पतनी अमीलाल जाति जाट साकिन सुरेरा खरी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री विजयसिह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 28/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 291 / 113 की कुल 3.2940 हैक्ट भूमि हजारी पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारी पुत्र श्योजीराम के से दर्ज है जो कि वादी का पिता है हजारी पुत्र श्योजीराम का [illegible] पुत्र श्योजीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी[illegible] जो हजारी पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के [illegible] अधिकारी है। प्रतिवादी[illegible] संख्या 1 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 वादीगण की मृतक [illegible] ज्यानादेवी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पुत्र व पुत्रीया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 की तरफ से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार तिवाड़ी ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा ढंढेलाबारानी खाता संख्या 291/113, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हजारी राम, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र ज्यानादेवी, लाधुराम पुत्र हजारीराम द्वारा वारिसान बाबत प्रस्तुत मूल शपथ पत्र, राधाकृष्ण पुत्र हजारीराम द्वारा वारिसान बाबत प्रस्तुत मूल शपथ पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता हजारी पुत्र श्योजीराम हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री [illegible] जावें।

पेरोकार राज ने निवे[illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार [illegible] राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:00 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 291/113 की कुल 3.2940 हैक्ट भूमि हजारी पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता हजारी पुत्र श्योजीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है। वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 द्वारा स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी लाधुराम व राधाकृष्ण द्वारा सदस्य बाबत प्रस्तुत शपथ एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा हजारी पुत्र श्योजीराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 291/113 की कुल 3.2940 हैक्ट भूमि हजारी पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक हजारी पुत्र श्योजीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:00 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 722 / 2022

अनवान : –

1. लाधुराम कस्वां पुत्र हजारीराम कस्वां जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. बृजलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. राधाकृष्ण पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. हंसराज पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. सुमित्रा पुत्री हजारीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चाईया तहसील रावतसर।
2. सुशीला पुत्री हजारीराम पत्नी महावीर जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री हजारीराम पत्नी स्व0 भूराराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी सुरेरा खारी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. सुनीता पुत्री ज्यानादेवी पत्नी भादरराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल ढुमासर तहसील नोहर।
5. सरलादेवी पुत्री ज्यानादेवी पत्नी राकेश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. वीनादेवी पुत्री ज्यानादेवी पत्नी राजेश जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास थिराना तहसील नोहर।
7. सुमन पुत्री ज्यानादेवी पत्नी अजय कुमार जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास गिगोरानी तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
8. विनोद पुत्र ज्यानादेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट साकिन सुरेरा खरी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
9. खजानाराम पुत्र ज्यानादेवी पतनी अमीलाल जाति जाट साकिन सुरेरा खरी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 722 सन 2022 निर्णय दिनांक 28/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजय सिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 291 / 113 की कुल 3.2940 हैक्ट भूमि हजारी पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक हजारी पुत्र श्योजीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:00 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर